प्रेस नोट **29/07/2024**

25 हजार का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 28.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सौंदी पुलिया के पास से मु0अ0सं0 204/21 धारा 307,342,504,506 भादवि में फरार 25 हजार का इनामी वांछित अभियुक्त अजीत पुत्र चन्द्रभान निवासी अहिरौली थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. अजीत पुत्र चन्द्रभान निवासी अहिरौली थाना मधुबन जनपद मऊ। (इनामिया 25 हजार)।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजीत–

1. मु0अ0सं0 204/21 धारा 307,342,504,506 भादवि थाना मधुबन मऊ।
2. मु0अ0सं0 33/17 धारा 323,498ए,504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना मधुबन मऊ।
3. मु0अ0सं0 132/17 धारा 323,324,504,506 भादवि थाना मधुबन मऊ।
4. मु0अ0सं0 290/22 धारा 174ए भादवि थाना मधुबन मऊ।

साइबर क्राइम टीम ने साइबर फ्राड से बचने के लिये महिलाओं/छात्र/छात्राओं को किया गया जागरूक-

आज दिनांक 29.07.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपदीय साइबर थाना पुलिस द्वारा चन्द्रा पब्लिक स्कुल थाना सरायलखन्सी में उपस्थित समस्त छात्र/छात्राओं को महिलाओं/बच्चियों से होने वाले साइबर फ्राड/सोशल मीडिया पर घटित घटनाओं के बारे में बताते हुए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करनें संबंधित हेल्पलाईन नम्बर 1930/112, www.cybercrime.gov.in को बताया गया । साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरुक किया गया जिसमें उपस्थित समस्त विद्यालय कर्मचारी सहित समस्त छात्र/छात्रायें मौजूद रहे एवं साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनपदीय साइबर क्राइम टीम के द्वारा आवश्यक जानकारियां दी गयी।

निम्नलिखित सामान्य सी लग रही बातों का ध्यान ना देने के कारण साइबर फ्रार्ड का शिकार हो रहे लोग

1. लाटरी, लकी ड्रा, कैश बैक, रिवार्ड प्वाइंट, सस्ते लोन, नौकरी लगवाना, मोबाइल टॉवर, शादी आदि के बारे में कोई भी कॉल, मैसेज या विज्ञापन पर भरोसा न करें और न ही किसी खाते या ई-वालेट में रूपया जमा करें।

2. ई-मेल के जरिए कोई भी व्यक्ति लाटरी या अपनी सम्पत्ति दान करने की बात करें तो उस पर भरोसा न करें।

3. OLX पर कुछ भी बेचने या खरीदने में सावधानी बरते। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। रूपये प्राप्त करने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए आवश्यकता नही होती। सामान प्राप्त होने पर ही भुगतान करें।

4. किसी भी माध्यम से प्राप्त लिंक पर क्लिक कर अपनी निजी जानकारियाँ या बैंक खाते से जुडी हुई जानकारियाँ (जैसे-PIN, OTP, C.V.V, CARD NO, UPI PIN, PAN NO, ADHAR NO, MOBILE NO, E-Mail ID) दर्ज न करें।

5. Google Pay, Phone Pay, Paytm आदि के द्वारा रूपये के लेन देन की सुविधा में एक विशेष सुविधा दी गयी है जो कि “Request Money” के नाम से जानी जाती है जिसका कार्य रूपये उधार लेने के लिए किया जाता है, अतः PAY, CANCEL, LATER पर ध्यान देते हुए क्लिक करें।

6. किसी कॉल या SMS से प्राप्त सिम अपग्रेड (2G/3G/4G) करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। और न ही अपने मोबाइल नम्बर से कोई SMS फारवर्ड करें।

7. यदि आपका सिम अचानक काम करना बन्द कर दे या नेटवर्क गायव हो जाये तो तत्काल कस्टमर केयर से सम्पर्क करें। साइबर ठग आपकी निजी जानकारी चुराकर SIM बन्द कराकर डुप्लीकेट SIM जारी करा सकते है।

8. किसी भी फर्जी PHONE CALL, SMS, Whatsapp, E-mail या किसी भी माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन फार्म / Google Form के लिंक को न तो क्लिक करें और न ही कोई जानकारी साझा करें।

9. Facebook, Whatsapp, Instagram आदि पर अनजान लोगो से न जुडे और न ही अनजान लोगो से चैट / वीडियो कॉल पर बातचीत करें। साइबर ठग आपके साथ हुए चैट का स्क्रीनशॉट या वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकार्डिंग कर उसे वायरल करने की धमकी देकर रकम की मांग कर आपको मुसीबत में डाल सकते है।

10. एटीएम से निकासी / कार्ड स्वेप करके खरीदारी अपने सामने ही करें। तथा पिन को हाथ से छुपा कर डाले । किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता न ले।

11. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना हॉट-स्पॉट डाटा शेयर न करें।

12. गूगल पर सर्च किये गये Customer Care NO का इस्तेमाल न करें। आपके साथ धोखा हो सकता है।

13.किसी भी व्यक्ति के कहने पर Remote Access App जैसे Quick Support, Any Desk, Team Viewer आदि Download न करे और न ही उसका PIN व ID शेयर करें।

साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है

किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित तरिकों के माध्यम से सूचना दें।

1. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930/112 पर कॉल करें।
2. www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
3. UPCOP मोबाईल ऐप से रजिस्टर ई-FIR तथा अपने जनपद थाना व साइबर क्राइम सेल से तत्काल सम्पर्क करें।

साइबर क्राइम सेल टीम-

1. प्र0नि0 योगेश यादव,
2. उ0नि0 सुनील मलिक,
3. मु0आ0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया,
4. आरक्षी शशीकान्त मणि त्रिपाठी,
5. आरक्षी अनूप यादव साइबर,
6. आरक्षी प्रभात कुशवाहा,

प्रचलित श्रावण मास/कांवण यात्रा को लेकर जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 29.07.2024 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ मऊ चिरैयाकोट क्षेत्र के सरसेना, गाजीपुर बार्डर भगवा जलालपुर वाले क्षेत्रों, बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रूट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया तथा आस-पास शांति/सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लिया गया। साथ ही साथ समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।